one of the many techniques being practised in different parts of the world and may continue to develop in the country through private efforts. As such, there is no proposal to expand this system in Government Hospitals through-out the country.

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No comprehensive survey on the advantages and disadvantages of acupuncture has been conducted in the country.

(d) and (e) The Government of India have not recognised Acupuncture as a system of medicine in the country. This is

Participation of Foreign Companies in T.V. Station/Radio Broadcasting

1561. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether foreign companies will be allowed to participate in T.V. Station/ Radio Broadcasting directly or indirectly;

(b) whether Government contemplate to allow private and foreign countries in this regard which may adversely influence the mind of young generation; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) At present no foreign company is permitted to participate in T.V./radio broadcasting directly or indirectly from Indian soil. No decision has been taken yet on the review/change of this policy.

WHO Directive to Sell the Drugs

1562. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Health Organisation has directed that the drugs should be sold by their generic name;

(b) whether Government subscribe to this directive;

(c) if so, the reasons for pharmaceutical companies selling the same drug under their own name; and

(d) the action Government propose to take to curb this practice?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) There is no such direction from the World Health Organisation (WHO) that drugs should be sold by their generic names. However, the WHO has recommended that the generic names of drugs listed in the WHO Essential Drug List should be used wherever available and the prescriber should also be provided with the respective proprietary names.

(b) to (d) Government by and large, purchases drugs and pharmaceuticals, by generic name for use under the National Health Programmes, and in Government hospitals. The companies use brand names registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

देशी और विदेशी ऋण का प्रतिव्यक्ति बोझ

1563. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशी और विदेशी ऋण का प्रतिव्यक्ति बोझ कितना है;

(ख) इन ऋणों की राशि और उस पर देय ब्याज की राशि वार्षिक बजट और सकल घरेलू उत्पाद की राशि का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार इस ऋण की निरंतर बढ़ती राशि को भविष्य में कम करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ड़) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) वर्ष 1995-96 में सरकार का प्रति व्यक्ति आन्तरिक और विदेशी ऋण क्रमशः 3272 रुपए और 1601 रुपए बैठता है।

(ख) वर्ष 1995-96 के स०घ०उ० (अनंतिम अनुमान) की प्रतिशतता के रूप में सरकारी खाते पर विदेशी ऋण और ऐसे ऋण पर ब्याज अदायगी और वर्ष 1995-96 (सं०अ०) के लिए बजट व्यय निम्नानुसार है:

	बकाय ऋण	ब्याज
बजट की प्रतिशतता	81.1	2.4
स०घ०उ० की प्रतिशतता	13.6	0.4

भारत सरकार के आन्तरिक ऋण और अन्य चालू देनदारियों के इसी प्रकार के अनुपात निम्नानुसार हैं:

	बकाया ऋण	ब्याज
बजट की प्रतिशतता	302.0	25.7
स०घ०उ० की प्रतिशतता	50.6	4.3

(ग) और (घ) सरकार ऋण शोधन अनुपात को सुविधाजनक स्तरों तक कम करने के उद्देश्य से एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का अनुसरण कर रही है। इसमें निर्यात अभिवृद्धि और अन्य चालू प्राप्तियों में वृद्धि करना, कुल ऋण की वृद्धि में कमी करना, ऋण के महंगे और अल्प कालिक घटक की वृद्धि में कमी करना तथा विदेशी निवेश जैसे गैर-ऋण सृजक अर्न्तप्रवाहों में वृद्धि करना जैसे उपाय शामिल है। आन्तरिक ऋण के मामले में सरकार प्राप्तियों को बढ़ाकर तथा व्यय को सीमित करके राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में छापे

1564. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान और 31 मार्च, 1996 तक मध्य प्रदेश में कितने छापे मारे गए;

(ख) किन-किन फर्मों और व्यक्तियों की चल तथा अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान मारे गए छापों में से कितने मामलों का निपटारा नहीं किया गया है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में 1994-95 के दौरान 58 तलाशी वारंट और 1995-96 के दौरान 127 तलाशी वारंटों का निष्पादन किया।

(ख) विभाग द्वारा ऐसे वर्गीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, मध्य प्रदेश के संबंध में परिसंपत्तियों की कुल जब्ती 1994-95 के दौरान 1579.92 लाख रु० और 1995-96 के दौरान 3283.63 लाख रु० की थी।

(ग) प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गयी है। दिनांक 1.4.95 से 30.6.96 के बीच की तलाशियों के मामलों में कर-निर्धारण पूरा करने का समय 31.3.99 है और 1.7.95 से 31.3.96 के बीच की तलाशियों के संबंध में कर-निर्धारण पूरा करने का समय अंतिम तलाशी प्राधिकार निष्पादित करने वाले महीने के अन्त से एक वर्ष का है।

Raids conducted by Income-Tax Department

1565. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of raids conducted by the Income-tax Department at the offices, residences and distilleries of big and middle industrialist groups in the country during the last three years; and

(b) the details indicating the amount recovered in these raids from these industrial groups?

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Searches were conducted on nine groups by the Income-tax Department at the offices, residences and distilleries of big and middle industrialist groups in the country during the last three years. The total seizure of assets affected during these searches was of Rs. 1668.78 lakhs.